प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट पारिशिष्ट (I)

[20/7/2015]

प्रश्न सं. [क्र. 130] ता. 130 द्वारा श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग महेश्वर जिला खरगोन म.प्र.

आ.5 280 6-3-14

क्रमांक/349 /तक./ग्रायांसेवा/2014 महेश्वर,दिनांक 4 / 3 /2014

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
संभाग महेश्वर।

विषय :- निस्तार तालाब जूनापानी की जॉच का प्रतिवेदन।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 567/तक/ग्रायांसेवा/2014 महेश्वर दिनांक 10.02.2014।

~~ o0o ~~

उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिपालन में मेरे द्वारा दिनांक 28.02.2014 को निस्तार तालाब जूनापानी जनपद पंचायत बड़वाह की जॉच की गई।

मनरेगा योजना के तहत इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 1922 दिनांक 06.03.2012 को तथा प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक-3740 दिनांक 13.04.2012 को 40.10 लाख रू. की प्रदान की गई थी। दिनांक 06.02.2013 को तत्कालीन उपयंत्री श्री पटेल द्वारा वन विभाग की अनुमति मिलने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया गया था। उनके स्थानान्तरण के पश्चात उपयंत्री श्री रामेश्वर डुडवे के द्वारा उपरोक्त कार्य किया जा रहा है।

T/S कार्यवाहीकर

स्थल पर मेरे द्वारा पाई गई वस्तु स्थिति निम्नानुसार है :-

1. बण्ड की ऊँचाई प्राक्कलन अनुसार 9.0 मी. है जबकि स्थल पर 6.5 मी. तक का कार्य हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

2. वेस्ट वियर की चौड़ाई प्राक्कलन अनुसार 18.0 मी. है जबकि वर्तमान में औसतन 4.5 मी. की चौड़ाई का वेस्ट वियर बनाया गया है जिसे चौड़ा किया जाना बाकी है।

3. कार्य की गुणवत्ता ठीक पाई गई है।

4. कार्य पर अभी तक कुल 26.05 लाख रू. व्यय किये जा चुके हैं। जिनमें से मजदूरी पर 17.25 लाख रू. एवं सामग्री/परिवहन आदि पर 8.80 लाख रू. व्यय किये गये हैं।

5. कार्य में देरी होने का कारण वन विभाग से अनुमति मिलने में देरी तथा पूर्ववर्ती उपयंत्री का स्थानान्तरण होना है।

उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिये उपयंत्री श्री रामेश्वर डुडवे को निर्देशित किया जा रहा है साथ ही कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिये जा रहे हैं।

जॉच प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

अनुविभागीय अधिकारी
ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग महेश्वर

हितेन्द्रसिंह सोलंकी
विधायक
182, विधानसभा क्षेत्र, बड़वाह

सुभाष चौक, सनावद
तह.-सनावद, जि.-खरगोन
पिन: 451 111 (म.प्र.)
दूरभाष (07280) 234547

क्रमांक / 112

दिनांक 12.1.2014

मेरे विधान–सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत [illegible] के ग्राम [illegible] में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा ४०.०० लाख रूपये के लागत राशि का तालाब की स्वीकृति विगत वर्ष २०१२ में की गई थी, उक्त कार्य को श्री पटेल [illegible] द्वारा कराया जा रहा था किन्तु इसी बीच (एक वर्ष पश्चात्) श्री पटेल का स्थानान्तरण [illegible] हो गया है। [illegible] का तालाब वर्तमान तक भी अपूर्ण है। मेरे द्वारा विभागीय अधिकारियों को तालाब का कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश जारी किये जाने के पश्चात् भी आज तक कार्य पूर्ण नही हुआ है । इसी प्रकार कार्य की गुणवत्ता भी ठीक नहीं होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में असन्तोष व्याप्त है ।

अतः इस तालाब के गुणवत्ता की जॉच कराई जावे, तथा कार्य को समयसीमा में पूर्ण कराये जाने के संबंध में निर्देश जारी करेंगे। तथा कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत करावे।

भवदीय

(हितेन्द्रसिंह सोलंकी)

प्रति,
कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
महेश्वर।

पृष्ठांकन क्रमांक दिनांक ०८/०१/२०१४

१:— कलेक्टर महोदय, खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हितेन्द्रसिंह सोलंकी)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
उपसंभाग महेश्वर जिला खरगोन म.प्र.

आ.क्र. 281
6-3-14

क्रमांक/353 /तक./ग्रायांसेवा/2014 महेश्वर,दिनांक 5 / 3 /2014

प्रति,

श्री रामेश्वर डुडवे उपयंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
उपसंभाग महेश्वर।

विषय :– जुनापानी निस्तार तालाब का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

~~ 0O0 ~~

उपरोक्त विषयायान्तर्गत लेख है कि विधान सभा क्षेत्र बड़वाह विधायक महोदय श्री हितेन्द्रसिंह सोलंकी द्वारा आपके प्रभार के मनरेगा योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्य निस्तार तालाब जूनापानी में अनियमितता की शिकायत की गई थी। जिसके संदर्भ में दिनांक 28.02.2014 को मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण कर जॉच की गई। जॉच में पाया गया कि प्राक्कलन अनुसार डेम की हाईट 9.0 मी. एवं वेस्ट वियर की चौड़ाई 18.0 मी. रखी गयी थी लेकिन आज भी साईट पर बण्ड की हाईट 6.50 मी. एवं वेस्ट वियर की औसतन चौड़ाई 4.5 मीटर पाई गई है। वर्तमान में कार्य पर राशि 17.25 लाख रू. मजदूरी पर एवं सामग्री पर राशि 8.80 लाख रू. व्यय किया जा चुका है इस प्रकार कुल राशि 26.05 लाख रू. का व्यय किया गया है। शेष राशि 14.05 लाख रू. में कार्य पूर्ण किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य में पाई गई कमियो में सुधार करते हुये तत्काल कार्य प्रारम्भ कर गुणवत्ता पूर्ण कार्य समय–सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा किसी प्रकार की कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।

T/S

अनुविभागीय अधिकारी
ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग महेश्वर

पृ. क्रमांक/354 /तक./ग्रायांसेवा/2014 महेश्वर,दिनांक 5 / 3 /2014

प्रतिलिपि :–

कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग महेश्वर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी
ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग महेश्वर